न्यायालय उपजिलाधिकारी/असि0कले0 प्रथम श्रेणी गौरीगंज सुलतानपुर

वाद संख्या २०

अन्तर्गत धारा 143ज0वि0अधिनियम
ग्राम कटरालालगंज परगना अमेठी तहसील
गौरीगंज सुलतानपुर

ओमप्रकाश आदि बनाम सरकार

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत हुई। जिसका सम्यक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ व शिवराम व दुर्गादीन, शिवनारायण, परमेश्वरदीन, रामदीन पुत्रगण महाराजदीन निवासी ग्राम माधोपुर परगना अमेठी तहसील गौरीगंज सुलतानपुर व उमरबहादुरप्रसाद त्रिपाठी अध्यक्ष/प्रबन्धक मनीषी महिला महाविद्यालय गौरीगंज द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया कि वाद भूमि स्थित ग्राम कटरालालगंज परगना अमेठी तहसील गौरीगंज की गाटा संख्या 594के बिल्कुल सटकर मनीषी महिला महाविद्यालय की बाउन्ड्रीवाल है जिसके कारण वाद भूमि मे हल बैल ट्रैक्टर से जोताई नही हो रही है वर्तमान समय मे वाद भूमि अकृषिक हो गई है जिसका स्थानीय निरीक्षण करवा कर अकृषिक भूमि घोषित किया जाय।

वाद दर्ज होकर तहसील से स्थानीय रिपोर्ट प्राप्त की गई। नायब तहसीलदार द्वारा स्थानीय रिपोर्ट मे उल्लेख किया कि मौके की जांच की गई। प्रश्नगत भूखन्ड मनीषी महिला महाविद्यालय परिसर में स्थित है। कृषि कार्य नही होता है। महिला महाविद्यालय के परिसर में सामने सहन के रूप में उपयोग हो रहा है। इसी भूखन्ड में जो भाग सामने सड़क पर है उसमें मकान दुकान बन गये है। धारा 143में कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषित करने की संस्तुति की जाती है।

पक्षों को नोटिस जारी की गई। ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ द्वारा उपस्थित होकर जवाब दाखिल किया कि वाद भूमि पर उसने किसी को बैनामा नहा किया है वह वाद भूमि का भूमिधर है उसने वाद भूमि को अकृषिक किये जाने का कोई प्रार्थनापत्र नही दिया है। वादीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में उद्धरण खतौनी 1411 व 1416फसली खाता संख्या 00052दाखिल किया जिसमें वादभूमि गाटा संख्या 594/0-454 खातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर है प्रस्तुत वाद में वाद भूमि पर कृषि कार्य होता था न होना ही निस्तारित किया जाता है न कि खातेदार के स्वत्व पर निर्धारण होता है। नायब तहसीलदार की स्थानीय आख्या व लेखपाल/रा0नि0 की आख्या से स्पष्ट है कि वाद भूमि 594/0-454 के 0-571हेक्टेयर पर बाउन्ड्रीवाल व मनीषी महिला महाविद्यालय के परिसर में स्थित है कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति मेंवादभूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किये जाने में विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में ग्राम कटरालालगंज परगना अमेठी तहसील गौरीगंज की खतौनी 1411ता1416फसली खाता संख्या 00052की गाटा संख्या594/0-454 मे 0-571हे0कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन मनीषी महिलामहाविद्यालय की बाउन्ड्रीवाल तथा महाविद्यालय के परिसर में होने के कारण कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन हेतु प्रख्यापित की जाती है। आदेश का अनुपालन खतौनी के विवरण कालम में अंकित हो। इस खतौनी के बाद आने वाली अगली खतौनी मे इसकी अमलदरामद होती रहे। परवाना जारी हो। आदेश की प्रति उपनिबन्धक गौरीगंज को निःशुल्क पंजीकरण हेतु भेजी जाय। बाद औपचारिकता पत्रावली निक्षेप हो।

11/6/08
उपजिलाधिकारी/असि0कले0
प्रथम श्रेणी
गौरीगंज सुलतानपुर

प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र संख्या 246
आवेदन पत्र का दिनांक 27-6-08
प्रतिलिपि तैयार का दिनांक 28-6-08
प्रतिलिपि निर्गत का दिनांक 27-6-08

सत्य प्रतिलिपि
[illegible]
गौरीगंज, सुलतानपुर